al No.	Date of order of proceeding	Order with the signature of the Court	Office action taken with date
	2	3	4
	08.07.2021	न्यायालयः अवर न्यायाधीश, अरेराज पूर्वी चम्पारण वादी की ओर से वर्चुअल मोड द्वारा हाजिरी दी गयी एवं अभिलेख आज इम्तनाई आवेदन दिनांक 09.04.21 पर आदेश हेतु नियत है। वादी का कथन है कि विवादित जमीन पर वादी स्वत्व की घोषणा हेतु यह वाद दाखिल किया है। यह कि मुदालह प्रथम पक्ष गैर सामाजिक व अपराधिक प्रवृति के लोग हैं जो कि मुदई को विवादित भूमि से बेदखल करने पर आतुर हैं यह कि मुदई को प्रथम दृष्टया हेतु पर्याप्त आधार है और यदि वादी का आवेदन स्वीकृत नहीं किया गया तो उसे अपूर्णीय क्षति होगी साथ ही वादी सुविधा का संतुलन भी अपने पक्ष में बताते हैं अतः वादी मुदालह प्रथम पक्ष के खिलाफ इम्तनाई का आवेदन करते हैं। कोरोना काल के चलते मुदई द्वारा मुदालह पर इस आवेदन की तामिला हेतु विशेष दूत द्वारा तामिला का आवेदन पूर्व में दिया गया था जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया था। तदुपरांत न्यायालय के विशेष दूत द्वारा NSTEP के नवीन प्रावधान द्वारा सटिक तामिला कराया गया जिसके उपरांत मुदालह व उसके अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर मौखिक रूप से इस आवेदन का विरोध किये थे व इस आवेदन को आधारहीन बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की। वाद का अवलोकन किया एवं पाया कि यह वाद मात्र स्वत्व की घोषणा हेतु है जिसमें तीन बयनामा को शून्य घोषित करने का भी दादरसी मांगा गया। इस वाद में वादी अभिकथन करते हैं कि उन्हें मुदालहगण विवादित जमीन से बेदखल करना चाहते हैं जिसका वो कोई युक्तियुक्त आधार नहीं दे पाये हैं, जिससे यह भी प्रतीत होता है कि उनका यह आवेदन मात्र शंका पर आधारित है वह भी तब जब उनके द्वारा कब्जे की संपुष्टि तक का भी दादरसी मांगा ही नहीं गया है। अतः स्पष्ट है कि	

Scanned with CamScanner

Serial No.	Date of order of proceeding	Order with the signature of the Court
1	2	3
	09/07/21	इम्तनाई का कोई आधार ही नहीं बनता है। अतः मुदई का यह इम्तनाई आवेदन खारिज किया जाता है। वास्ते दिनांक 02-08-21 अग्रतर कार्रवाई। ऋषि गुप्ता अवर न्यायाधीश अरेराज

Scanned with CamScanner